राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/2018/ दिनाँक :

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के कार्यालय आदेश 226 दिनाँक 16/24.04.2018 जिसके द्वारा 21 अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय का पदस्थापन/समायोजन राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना, नागौर में किया गया हैं, को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं। फलस्वरूप उक्त कार्मिक अपने पूर्व की भांति यथावत कार्यरत रहेगें।

s/-

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/2018/452 दिनाँक : 11-05-2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, संभाग—अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख हैं कि निदेशालय स्तर से समय—समय पर अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय का समायोजन नर्स श्रेणी द्वितीय/प्रथम के पद पर करते हुये शेष अधिशेष कार्मिकों की सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी परिपत्र कमांक 1280 दिनाँक 29.09.2017 के द्वारा निर्देश जारी करते हुये इस आशाय का प्रमाण पत्र चाहा गया था कि "अराजपत्रित संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों का समयोजन जिले में उपलब्ध उसी संवर्ग के रिक्त पदों पर कर दिया गया हैं। वर्तमान में कोई भी कर्मचारी जिले में अधिशेष नही हैं/समायोजन उपरान्त शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं तथा किसी भी कर्मचारी का वेतन उनके संवर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य संवर्ग के रिक्त पद से आहरित नही किया जा रहा हैं।' इस संबंध में आपके पत्रांक 2624—25 दिनाँक 28.03.2018 को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार कोई भी नर्स श्रेणी द्वितीय अन्य संवर्ग के पदविरूद्ध कार्यरत नही हैं। इसके उपरान्त भी आप द्वारा 21 नर्स श्रेणी द्वितीय को अधिशेष (जिनका वेतन अन्य संवर्ग के पदों से आहरित हो रहा हैं) दर्शाते हुये समायोजन के आदेश जारी किये गये हैं। अतः उक्त संबंध में आप अपना स्पष्टिकरण 3 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। अन्यथा बाद मियाद आपके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वंय जिम्मेदार होगें।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur